/56368/2021

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बचत विकास एवं सेवा समिति उपायुक्त कार्यालय मण्डी द्वारा विक्टोरिया पार्किंग नए पुल से पुराने पुल तक Paid Parking के एक वर्ष के आबंटन हेतु खुली बोली दिनांक 28.7.2021 को दोपहर 12.30 बजे सहायक आयुक्त उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में रखी गई है।जो भी इच्छुक व्यक्ति उक्त पार्किंग की बोली में भाग लेना चाहता है वे दिनांक 28.7.2021 दोपहर 12.00 बजे तक अग्रिम **राशी** मुवलिग 25000/– रूप्ये इस कार्यालय में जमा करवायें। सरकारी बोली न्युनतम 177000/–रूपये एक लाख सतहतर हजार 18 % GST सहित से आरम्भ होगी।

पार्किंग आबटन की भार्तेः–

1 बोलीदाता को दिनांक 28.7.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक या इससे पहले किसी भी कार्यदिवस में अग्रिम **राशि** मु0 25000/–पचीस हजार रूप्ये डिमाड डाफट या नकद अध्यक्ष उपायुक्त जिला बचत समिति मण्डी के नाम Pledge करवानी होगी। बिना अग्रिम **राशि** कोई ब्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है।

2 सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण बोली की **राशि** का 25 % पार्किग आबंटन के 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा करवाने होगें। आबटन के 10 दिनों के भीतर यदि 25 % **राशि** जमा नहीं करवाई जाती है। तो आबटन रद्व कर दिया जाएगा।

3 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी भी समय बोली की तिथि स्थान व समय में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

4 पार्किग स्थल पर चार पहिया हल्के वाहन जैसे कार जीप, बैन थ्री ब्हीलर व स्कूटर चिन्हित की गई लाईन के अन्दर ही पार्क किए जाएगे। विक्टोरिया पार्किंग 24 घण्टे Paid पार्किंग रहेगी। यदि प्रशासन को कभी भी पार्किंग स्थल की आव यकता पडती है तो उस समय पार्किंग स्थल को खाली करना होगा। पार्किंग फीस की दरें निम्न प्रकार से रहेगी।

5	0 से 2 घण्टे चार पहिया वाहन	मु0	30/–रूपये।
	2 से 12 घण्टे	मु0	60/–रूपये।
	0 से 6 घण्टे स्कूटर व थ्री ब्हीलर	मु0	15/–रूपये।
	6 से 12 घण्टे थ्री ब्हीलर व स्कूटर	मु0	40/–रूपये।

6 यदि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत **राशि** से अधिक वसूली की जाती है तो छानबीन के उपरान्त ठेका रद्व कर दिया जाएगा।ठेकेदार पार्किग स्थल पर किसी प्रकार का अन्य ब्यवसाय नहीं कर सकता और पार्किग स्थल को किसी दूसरे को सबलैट नहीं कर सकता है।

7 पार्किंग का किराया प्रतिमाह दस तारीख से पहले इस कार्यालय में जमा करवाना होगा।यदि ठेकेदार द्वारा तीन माह तक मासिक किराया जमा नही करवाया जाता है तो पार्किग का आबंटन विना नोटिस से रद्व कर दिया जाएगा।

यदि पार्किंग का आबंटन निर्धारित सरकारी दर निविदा से कम प्राप्त होने या किसी कारण नहीं हो पाया, तो इसकी खुली बोली उसी समय निर्धारित सरकारी दर से **शुरु** की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त कार्यालय मण्डी की लघु बचत भाखा में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

आदेशानुसार
उपायुक्त
मण्डी जिला मण्डी।

प्रतिलिपि दिनांक

1 एलईडी स्क्रीन चौहाटा बाजार में प्रचार हेतु।

2 ~~सस्टीम~~ राष्ट्रीय सूचना बिज्ञान केन्द्र मण्डी को सूचनार्थ कि वे उपरोक्त निविदा को इस कार्यालय की Website मे upload करे।

eSigned

सहायक आयुक्त उपायुक्त
मण्डी जिला मण्डी।

gned by Sanjay Kumar